



टी बोर्ड भारत Tea Board India

14, बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता- 700 001

14, B.T.M. Sarani (Brabourne Road) Kolkata – 700001

www.teaboard.gov.in

पी.अ> बॉक्स नं. ; 2127 एसटीडी कोड; 033 टेल नं. 2235-1331

संदर्भ सं. संवर्ध/अंतराष्ट्र/14/2025

दिनांक 19.12.2025

परिपत्र

टी बोर्ड भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में

भागीदारी के लिए परिपत्र,

गल्फ फूड दुबई, 26-30 जनवरी 2026

बायोफैच, जर्मनी, 10-13 फरवरी 2026

क. उद्देश्य

वैश्विक उपभोक्ताओं के मन में चाय की सकारात्मक छवि को और मजबूत करना, साथ ही निर्यात और खपत बढ़ाने के मकसद से भारतीय चाय को पसंदीदा पेय के तौर पर बढ़ावा देना।

ख. परिचय

टी बोर्ड भारत, इच्छुक हितधारकों को टी बोर्ड भारत के साथ मिलकर भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

ग. आवेदन प्राप्ति पंचं जांच:

1. टी बोर्ड भारत के साथ ऊपर बताए गए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सभी आवेदन आवेदक सर्विस प्लस पोर्टल (<https://serviceonline.gov.in>) पर ऑनलाइन जमा करने होंगे।
2. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, एक यूनिक आईडी (संदर्भ सं). के साथ स्वतः एक पावती उत्पन्न हो जाएगी। यह पावती आवेदन मिलने की पुष्टि है और इसके आधार पर आवेदक इस योजना के तहत आर्थिक सहायता पाने का हकदार या पात्र नहीं बन जाता है।
3. टी बोर्ड आवेदन की जांच करेगा और आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किए जाने की सूचना दी जाएगी।

4. ऐसे नियमों के पालन की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ों की कमी के कारण अधूरा पाया गया कोई भी आवेदन तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

घ. पात्रता मानदंड

1. टीएमसीओ 2003/टीडीईसीओ के तहत पंजीकृत भारतीय चाय कंपनियाँ
2. आवेदकों को एक शपथ-पत्र जमा करना होगा कि व्यापार और कारोबार या किसी अन्य कारण से उन पर कोई जांच नहीं चल रही है, उन पर कोई आरोप नहीं है, उन पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया है और न ही उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है।
3. टी बोर्ड का वैध निर्यातक अनुज्ञापन रखने वाले सभी निर्यातक
4. आवेदन करने वाले निर्यातकों को मासिक निर्यात रिटर्न जमा करने में व्यतिक्रमी नहीं होना चाहिए।
5. निर्यातकों के पास नियमों के अनुसार टी बोर्ड के साथ संबंधित और वैध लोगो पंजीकरण होने चाहिए।
6. आवेदक को टी बोर्ड की किसी योजना का लाभ उठाने से रोका नहीं गया है।

ङ शर्तें

1. इन कार्यक्रम में सिर्फ भारतीय चाय ही प्रदर्शन, नमूना और प्रदर्शित की जानी चाहिए। जिन भारतीय चाय में मुख्य घटक के तौर पर 'कैमेलिया साइनेंसिस') नहीं है, और जो चाय भारत के अलावा किसी और जगह की हैं, उन्हें किसी भी हालत में प्रदर्शित, नमूना, बेचा या संवर्धित नहीं किया जाना चाहिए। टी बोर्ड के साथ अंतरराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने के लिए, प्रत्येक आवेदक को जहाँ तक हो सके, कम से कम एक खास जगह दी जानी चाहिए।
2. प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रदर्शन आकर्षक ढंग से लगाया जाए और प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान उन्हें आवंटित स्थान पर उचित रूप से कोई व्यक्ति मौजूद रहे।
3. प्रदर्शनी में भाग लेने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि बेहतर होगा कि वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के हों। कार्यक्रम खत्म होने से पहले स्टॉल खाली छोड़ने को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके कारण टी बोर्ड अगले कार्यक्रम में आपकी भागीदारी को स्वीकार नहीं कर सकता है।
4. समूह कंपनियों के मामले में केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जिसमें पूरे समूह को एक ही आवेदक माना जाएगा।
5. अगर कोई प्रतिभागी, जिसने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर ली है, कार्यक्रम शुरू होने से एक महीने पहले ही अपना नाम वापस ले लेता है, तो उससे लिए गए अग्रिम भागीदारी शुल्क और आवेदन शुल्क ज़ब्त कर ली जाएगी।
6. अगर किसी खास कार्यक्रम/मेला/प्रदर्शनी में उपलब्ध स्थान से ज़्यादा लोग आवेदन करते हैं, तो नीचे दी गई श्रेणियों को उनकी अहमियत के घटते क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी:

i. मूल्य वर्धित/जैविक चाय/विशेष चाय का कारोबार करने वाली कंपनियाँ/आवेदक

ii. एमएसएमई

iii. लघु चाय उत्पादक/स्टार्ट अप

iv. बड़ी कंपनियाँ

7. अगर किसी खास श्रेणी में ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं, तो उस श्रेणी के लिए आवेदक का चुनाव लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एसटीजी को स्टॉल के लिए किसी भी तरह के शुल्क से छूट दी जाएगी, सिवाय हर आवेदक के लिए ₹ 1000 + जीएसटी के भागीदारी शुल्क के। अ ज और अ ज ज लघु उत्पादक प्रतिभागियों के लिए कोई भागीदारी शुल्क नहीं होगा।

8. टी बोर्ड सिर्फ बुनियादी सुविधाओं वाला स्टॉल स्पेस देगा। बाकी सभी ज़रूरतों, जैसे कि आवास, नमूनाकरण उपकरण, रसद, अतिरिक्त फ़र्नीचर, फ़र्निशिंग वगैरह और दूसरे संबंधित खर्चों का इंतज़ाम और भुगतान कंपनी को ही करना होगा।

9. एक स्व-घोषणा कि कंपनी ने किसी खास कार्यक्रम के लिए सरकार की किसी अन्य योजना या किसी अन्य सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन से कोई लाभ नहीं लिया है और न ही भविष्य में लेगी।

10. कंपनियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों का सीए द्वारा प्रमाणित सालाना कारोबार प्रमाणपत्र

अगर टी बोर्ड के पास स्थान कम है, तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों का चुनाव इस तरह किया जाएगा कि उद्योग का उचित और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। ऐसी स्थिति में भागीदारी का बंटवारा इस प्रकार करने का लक्ष्य रखा जाएगा:

क्र. सं.	खंड	प्रतिनिधिमंडल में % प्रतिनिधित्व
1	व्यापारी निर्यातक	25%
2	उत्पादक निर्यातक	20%
3	उद्यमी/ लघु उत्पादक/एफपीओ/एफपीसी/स्टार्ट-अप	15%
4	जैविक निर्यातकों सहित मूल्य वर्धित निर्यातक	30%
5	पहली बार निर्यात करने वाले/नए निर्यातक	10%

खंड 1, 2 और 4 में अधिक प्रविष्टियों के मामले में, चयन का निर्णय नीचे दिए गए मापदंडों के आधार पर होगा, जबकि खंड 3 और 5 के मामले में यह लॉटरी निकालने पर आधारित होगा। प्राथमिकता सूची के लिए निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग किया जाएगा:

- सामान्य तौर पर कुल निर्यात मूल्य में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)
- उस विशेष बाज़ार के लिए कुल निर्यात मूल्य में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)
- मूल्यवर्धित चाय का निर्यात।

च. आवेदन प्रस्तुत करना

- 1) भागीदारी में रुचि रखने वाले निर्यातक को 'सर्विस प्लस' पोर्टल (<https://serviceonline.gov.in>) के ज़रिए टी बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन करके अपनी भागीदारी में रुचि के बारे में सूचित करना।
- 2) टी बोर्ड की वेबसाइट पर इवेंट अपलोड करने के बाद आवेदन मंगाए जाएंगे।
आवेदन और भागीदारी शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
- 3) अगर कार्यक्रम में संयुक्त रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक सं. में निर्यातक नहीं मिलते हैं, जिससे टी बोर्ड के पास उपलब्ध स्थान का सही उपयोग हो सके, तो टी बोर्ड तिथि कट को आगे बढ़ा सकता है।
- 4) अगर आवेदन करने वाले निर्यातक की सं. टी बोर्ड के पास उपलब्ध स्थान से ज़्यादा हो जाती है, तो बिंदु सी में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर चुना जाएगा। हालाँकि, अगर चुने गए किसी निर्यातक का आवेदन रद्द हो जाता है या वे अपना नाम वापस ले लेते हैं, तो प्राथमिकता सूची में अगले योग्य निर्यातक को मौका दिया जाएगा।

छ. आवेदन शुल्क

1. आवेदन शुल्क के तौर पर ₹ 10,000 + जीएसटी की गैर-वापसी योग्य राशि जमा करनी होगी। लघु चाय उत्पादकों/एफपीओ और एफपीसी के लिए आवेदन शुल्क ₹ 1,000 + जीएसटी है। अ.ज/अ.ज.ज लघु उत्पादकों को इससे छूट दी गई है।
2. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सहभागिता शुल्क के तौर पर ₹ 2.00 लाख (मात्र दो लाख रुपये) का अग्रिम भुगतान, आवेदन जमा करते समय करना होगा। यह नियम स्टार्ट-अप्स (जो 'स्टार्ट-अप इंडिया' के तहत पंजीकृत हैं) पर लागू नहीं होगा।
3. अगर कोई चुना गया प्रतिभागी कार्यक्रम शुरू होने की तिथि से एक माह पहले अपना नाम वापस लेता है, तो उसका आवेदन और भागीदारी शुल्क ज़ब्त कर लिया जाएगा।

ज. आवेदनों की जांच

प्राप्त आवेदनों की जांच बोर्ड के अधिकारियों द्वारा की जाएगी और आवेदकों को ऑनलाइन सूचना दी जाएगी।

झ. मंजूरी जारी करना

निधि की उपलब्धता के आधार पर, आवेदनों की जांच पूरी होने के बाद ही भाग लेने की मंजूरी के बारे में बताया जाएगा। वीज़ा लेना, यात्रा, आवास एवं भोजन और अनुवादक आदि का इंतज़ाम प्रतिभागियों को स्वयं करना होगा।

ज. गतिविधि पूरी होने की सूचना

1. मेले/प्रदर्शनी के खत्म होने और भारत लौटने पर, भाग लेने वाली कंपनियों को अपने ई-बोर्डिंग पास 'टी बोर्ड' को जमा करने होंगे। साथ ही, उन्हें कंपनी के पत्रशीर्ष पर एक घोषणा-पत्र भी देना होगा कि इन बोर्डिंग पास की कॉपी का उपयोग उस खास कार्यक्रम के लिए किसी दूसरी संस्था से प्रतिपूर्ति लेने के लिए नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो 'टी बोर्ड' के साथ अगले मेले/ प्रदर्शनी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. कार्यक्रम के पूरा होने की तिथि से 4 हफ्ते के अंदर कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट और प्रतिपुष्टि, उससे उत्पन्न हुई जागरूकता, प्राप्त आदेश आदि की जानकारी जमा करनी होगी।
3. सभी व्ययों का हिसाब- किताब पूरा होने के बाद, निर्यातक को कार्यक्रम में 40% या 20% हिस्सेदारी के लिए किए जाने वाले भुगतान (अगर कोई हो) के बारे में सूचित किया जाएगा, या इसके उलट स्थिति में भी ऐसा ही किया जाएगा।

ट. सहायता का पैमाना:

- 1) सुसज्जित स्टाल की कुल लागत का 60%।
- 2) स्टार्ट-अप्स के मामले में, उनके सुसज्जित स्टाल की कुल लागत का 80%।
- 3) कार्यक्रम पूरा होने के बाद अंतिम हिसाब-किताब के समय, दोनों पक्षों की ओर से अगर कोई अतिरिक्त राशि बनती है, तो उसे वापस किया जाएगा। अगर हिसाब-किताब में राशि भागीदारी शुल्क से ज़्यादा निकलती है, तो आवेदक को बाकी राशि का भुगतान करना होगा, और इसके विपरीत, अगर राशि भागीदारी शुल्क से कम होती है, तो टी बोर्ड बची हुई राशि वापस कर देगा।
- 4) टी बोर्ड सिर्फ बुनियादी सुविधाओं वाला स्टॉल स्थान देगा। बाकी सभी ज़रूरतों, जैसे कि आवास, वीज़ा, दुभाषिया, नमूनाकरण उपकरण, रसद, अतिरिक्त फ़र्नीचर, फ़र्निशिंग वगैरह और दूसरे संबंधित खर्चों का उपयोग और भुगतान निर्यातक को ही करना होगा।

सर्विस प्लस के ज़रिए भागीदारी का विवरण और फ़ीस मिलने की आखिरी तिथि

- गल्फ़ूड दुबई - 25-12-2025
- बायो फैच, जर्मनी - 31-12-2025

नोट: कृपया ध्यान दें कि इन कार्यक्रमों में मंत्रालय की मंजूरी मिलने पर ही भाग लिया जाएगा।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव